भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3440
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

मध्यस्थ की नियुक्ति

3440. श्री देवेश शाक्य :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थ की नियुक्ति के सिलेसिले में अधिवक्ताओं की तुलना में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वरीयता दी जाती है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सभी उच्च न्यायालयों में मध्यस्थों के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(घ) इसी अवधि के दौरान मध्यस्थों के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में एक संतुलित नीति बनाने का विचार रखती है ताकि योग्य अधिवक्ताओं को भी पर्याप्त अवसर मिल सकें और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 व्यक्तियों की बतौर मध्यस्थ नियुक्ति हेतु कोई अर्हता विहित नहीं करती है अथवा सेवानिवृत न्यायधीशों अथवा अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिमानित करता है । चूंकि माध्यस्थम् प्रक्रिया पक्षकार द्वारा स्वायत्तता- संचालित है? करार की शर्तों के अनुसार पक्षकार किसी व्यक्ति तो बतौर मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है ।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा डेटा का संधारण नहीं किया जाता है।

(ड.) : सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । हालांकि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र ने, जो नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 के अधीन

एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है, ने नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (मध्यस्थों के पैनेल में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड) विनियम 2023 को अधिसूचित किया है जो किसी भी व्यक्ति को, जो उक्त विनियम के अधीन पात्र है, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 28 के अधीन नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा गठित मध्यस्थ मंडल में नामिकायन (इमपैनलमेंट) के विचारार्थ आवेदन करने की पात्रता प्रदान करता है ।

****